आवश्यक/अतिमहत्वपूर्ण

प्रेषक

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड–2,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश ।

3–समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश ।

पत्रांकः– 350/ई0पी0डी0/सूखा आपदा /2014–15 दिनॉक 1-7-2014

विषयः– **दैवीय आपदा प्रबंधन अर्न्तगत सम्भावित सूखा/बाढ के दृष्टिगत की जाने वाली तैयारियॉ ।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र सं0 314/इपीडी, दि0 9.4. 2014, संख्या 317/इपीडी दि0 5.5.2014, संख्या 319/इपीडि दिनांक 15.4.2014,संख्या 322/ इपीडि दिनांक 15.5.2014 एवं संख्या 345/इपीडी/दि0 26.6.2014 का संदर्भ लें जिसके द्वारा प्रदेश में मानसून विलम्ब से आने एवं कम वर्षा की भविष्यवाणी के कारण सम्भावित सूखा दैवीय आपदा के दृष्टिगत आवश्यक दिशा निर्देशो जारी कर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस सम्बन्ध में कहना है कि सूखा/बाढ के दृष्टिगत उपरोक्त पत्र द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आपके द्वारा कार्यवाही कर दी गयी होगी। जिसमें जनपद के लिए भूसा व्यापारियों को भी चिन्हित करा गया होगा तथा मानक दर भी निर्धारित की गयी होगी । अतः जनपद के लिए भूसा क्रय किये जाने के लिए चिन्हित भूसा व्यापारियों के नाम, पता, भूसा की अनुमानित दर एवं उनके द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले भूसा की मात्रा से तत्काल निदेशालय को अवगत करायें। यदि भूसा व्यापारियों को चिहिन्त नही किया गया है तो तत्काल चिन्हित करते हुए वांछित स्थिति से निदेशालय को अवगत करायें । दैवीय आपदा सूखा/बाढ प्रबन्धन पर किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाय अन्यथा की स्थिति में पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा ।

भवदीय,

(रूद्र प्रताप)
निदेशक।

पत्रांकः- /ई0पी0डी0/जे0ई0/2014-15 दिनॉकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, पशुधन, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

2- प्रमुख सचिव, राजस्व एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

(रूद्र प्रताप)
निदेशक।